*न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा*
*पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.*

| प्रकरण सं0 – | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 14/2016/वाद पत्र | 27.01.2016 | 09.06.2017 |

उनवान

रतनलाल पिता रामसुख लोदा निवासी शम्भुपुरा (आरणी) तह0 शाहपुरा
– वादी

बनाम

1–4 कालू,देवकरण,रोडू,रामदेव पिता उगमा लोदा नि0 फूलियाकलां
5– तहसीलदार शाहपुरा
6– उप पंजीयक, शाहपुरा,
7– सवाईराम पिता किशना लोदा नि0 शम्भुपुरा (आरणी) तह0 शाहपुरा
– प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर0टी0ए0**

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश सुवालका : अधिवक्ता वादी
2. श्री अनिल व्यास : अधिवक्ता प्रतिवादीगण नं0 1, 3, 4

## निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा मे रूकमा पुत्री भागीरथ लोदा के कब्जे काश्त की आराजी नं0 9516 रकबा 0.24 है0, 9531 रकबा 0.13 है0, 9532 रकबा 0.36 है0, 9572 रकबा 0.02 है0, 9573 रकबा 0.22 है0, 9575 रकबा 0.18 है0, 9612 रकबा 0.49 है0, कुल किता 07 रकबा 1.64 है0 स्थित है। दिनांक 14.06.2013 को रूकमा पत्नि उगमा पुत्री भागीरथ लोदा निवासी शम्भुपुरा हाल फूलियाकलां ने कुल किता 07 रकबा 1.64 है0 सम्पूर्ण रकबा का एक पंजीबद्व वसीयत पत्र वादी एवं उसके काका सवाईराम पिता किसना लोदा के नाम कर दी। ग्राम शाहपुरा के खाता संख्या 2250 आ0न0 9594 रकबा 0.20 है0 मे से 1/2 हिस्से की भी वसीयत वादी एवं उसके काका सवाईराम पिता किसना लोदा के नाम कर दी। रूकमा की मृत्यु दिनांक 08.08.2013 को हो गई है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी एंव प्रतिवादी नं0 7 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान मे भी उक्त आराजीयात रूकमा पुत्री भागीरथ के नाम से ही चली आ रही है। इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व दस्तावेजों मे खाता वादी एवं प्रतिवादी नं0 7 के नाम खोला जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 वादी एवं प्रतिवादी नं0 7 के कब्जे काश्त मे आये दिन दखलन्दाजी करते है व शक्ति के बल पर कब्जा करना चाहते है इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है। अतः खाता वसीयत के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी नं0 7 के नाम खोला जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया जावे। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 7 के कब्जे काश्त मे दलखन्दाजी नही करे व इसके उपयोग उपभोग मे बाधा कारित न करे व अपने नोकरों ऐजेन्टो से भी ऐसा नही करावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.02.2016 को प्रतिवादी नं0 1, 3 व 4 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

अभिभाषक श्री अनिल व्यास ने अपना अधिकार पत्र एवं इकबाली जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी नं0 2 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 15.03.2016 को प्रतिवादी नं0 7 ने उपस्थित होकर मौखिक बताया कि वाद पत्र स्वीकार किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नही है। प्रकरण वास्ते जवाब पेरोकार सरकार के नियत किया गया। दिनांक 29.11.2016 को पेरोकार सरकार द्वारा मौखिक बताया कि जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते है जिससे पेरोकार सरकार का जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 08.12.2016 को वादी रतनलाल का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। दिनांक 31.01.2017 को अभिभाषक वादी ने बताया कि और साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सीधी बहस करना चाहते है जिससे प्रकरण अन्तिम बहस के नियत किया गया। दिनांक 09.06.2017 को अभिभाषक वादी की बहस समायत की गई। बहस मे अभिभाषक वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों पंजीबद्व वसीयत , रूकमा देवी का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं राजस्व अभिलेख के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन एवं प्रकरण का भंली भांति अवलोकन किया गया। प्रकरण वसीयत से संबंधित होकर तहसीलदार शाहपुरा के क्षैत्राधिकार का होने से रिमाण्ड किया जाना उचित समझता हूँ :–

## आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 रा0टी0ए0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण वसीयत से संबंधित होकर सुनवाई का क्षैत्राधिकार तहसीलदार शाहपुरा का होने से वसीयत पत्र की सुनवाई पक्षकारान की उपस्थिति मे की जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार शाहपुरा को रिमाण्ड किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति व वसीयत पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति भेजी जाकर पालना हेतु लिखा जावे। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 09.06.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

# डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
बजलास श्री के0 आर0 खौड, आर0ए0एस0

लाल पिता रामसुख लोदा निवासी शम्भुपुरा (आरणी) तह0 शाहपुरा

– वादी

बनाम

4 कालू,देवकरण,रोडू,रामदेव पिता उगमा लोदा नि0 फूलियाकलां
– तहसीलदार शाहपुरा
– उप पंजीयक, शाहपुरा,
– सवाईराम पिता किशना लोदा नि0 शम्भुपुरा (आरणी) तह0 शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर0टी0ए0
मुकदमा नम्बर 14/2016 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .....X..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण वसीयत से संबंधित होकर सुनवाई का क्षैत्राधिकार तहसीलदार शाहपुरा का होने से वसीयत पत्र की सुनवाई पक्षकारान की उपस्थिति मे की जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार शाहपुरा को रिमाण्ड किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 09 माह 03 सन् 2017 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)